इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11]   भोपाल, बुधवार, दिनांक 9 जनवरी 2013—पौष 19, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 9 जनवरी 2013

क्र. 149-11-इक्कीस-अ (प्रा.)/अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 8 जनवरी, 2013 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ४ सन् २०१३.

मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, २०१२.

[दिनांक ८ जनवरी, २०१३ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", में दिनांक ९ जनवरी, २०१३ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, १९८२ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, २०१२ है.

धारा १८ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, १९८२ (क्रमांक ९ सन् १९८२) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा १८ में, उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(१) राज्य सरकार, मध्यप्रदेश विधिज्ञ परिषद् द्वारा की गई अध्यपेक्षा पर, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जैसा कि विधिज्ञ परिषद् के परामर्श से विहित किया जाए, बीस रुपए और पचास रुपए मूल्य के आसंजक स्टाम्प, जिन पर शब्द "मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि स्टाम्प" अंकित होंगे, मुद्रित करेगी या मुद्रित करवाएगी और उनका वितरण और विक्रय हेतु विधिज्ञ परिषद् को प्रदाय १० प्रतिशत कमीशन के आधार पर किया जाएगा.".

धारा १९ का संशोधन. ३. मूल अधिनियम की धारा १९ में,—

(एक) उपधारा (१) में, शब्द "दस रुपये" के स्थान पर, शब्द "बीस रुपए" स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (२) में, शब्द "बीस रुपये" के स्थान पर, शब्द "पचास रुपए" स्थापित किए जाएं.

भोपाल, दिनांक 9 जनवरी 2013

क्र. 150-11-इक्कीस-अ (प्रा)/अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 4 सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 4 of 2013.

THE MADHYA PRADESH ADHIVAKTA KALYAN NIDHI (SANSHOCHAN) ADHINIYAM, 2012.

[Received the assent of the Governor on the 8th January, 2013; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 9th January, 2013.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Adhivakta Kalyan Nidhi Adhiniyam, 1982.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-third year of the Republic of India as follows :—

Short title. 1. This Act may be called Madhya Pradesh Adhivakta Kalyan Nidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2012.

2. In Section 18 of the Madhya Pradesh Adhivakta Kalyan Nidhi Adhiniyam, 1982 (No. 9 of 1982) (hereinafter referred to as the Principal Act), for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:— **Amendment of Section 18.**

"(1) The State Government shall, on the requisition made by the Bar Council of Madhya Pradesh, print or cause to be printed in such form and in such manner as may be prescribed in consultation with the Bar Council, adhesive stamps bearing the words "Madhya Pradesh Adhivakta Kalyan Nidhi Stamp" of the value of twenty rupees and fifty rupees for being supplied to the Bar Council for distribution and sale on 10 percent commission basis.".

3. In Section 19 of the Principal Act,— **Amendment of Section 19.**

(i) in sub-section (1), for the words "ten rupees", the words "twenty rupees" shall be substituted;

(ii) in sub-section (2), for the words "twenty rupees", the words "fifty rupees" shall be substituted.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.